न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 330/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/470)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. सुखदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 13.10.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय— **दिनांकः 06.11.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 167/39 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.894 हैक्टेयर भूमि वादी कुलदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम व चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/14 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 0.054 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी को बंटवारानामा की डिक्री से प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरण में वादी के नाम मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/9 में 0.122 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त है, लेकिन वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में किला नम्बर 1/9 में 0.120 हैक्टेयर भूमि का अंकन हो गया है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/10 में 0.054 हैक्टेयर भूमि का अंकन हो गया है। जबकि वादी के नाम से मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/9 में 0.122 हैक्टेयर भूमि का अंकन होना चाहिए था एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.052 हैक्टेयर भूमि का अंकन होना चाहिए था। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 167/39 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 9/1 की 0.120 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.122 हैक्टेयर भूमि व चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/14 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/10 की 0.054 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.052 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/14 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/10 की 0.054 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.052 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी का वादपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी कुलदीप सिंह को चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 167/39 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 9/1 की 0.120 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.122 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह को चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/14 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/10 की 0.054 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.052 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. सुखदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **330/2025**
निर्णय दिनांक :-06.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी कुलदीप सिंह को चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 167/39 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 9/1 की 0.120 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.122 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह को चक 41 जी जी ए, पटवार हल्का 48 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 169/14 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/10 की 0.054 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.052 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 06.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/826 दिनांकः 06.11.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर